न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 172 / 18 / अजमेर (2018 / 00172)

विभागीय अपील द्वारा श्री चेतन्य प्रकाश पारीक तत्कालीन पटवारी कालियावास अतिरिक्त कार्यभार पटवार हलका लसाड़िया हाल सरवीना तहसील ब्यावर जिला अजमेर के विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर दिनांक 09.01.2015 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— चेतन्य प्रकाश पारीक तत्कालीन पटवारी कालियावास हाल सरवीना तहसील ब्यावर जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः—29.11.2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 09.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 08.08.2014 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः—

आरोप संख्या—एक

आप श्री चेतन्य प्रकाश पटवारी पटवार मण्डल कालियावास तहसील ब्यावर के पद पर रहते हुए आप द्वारा प्रार्थी श्री मनोहर सिंह रावत निवासी ग्राम रूपाहेली को उसके द्वारा वांछित राजस्व रेकार्ड की प्रतिलिपि समय पर नहीं दी व परेशान किया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने प्रमुख सचिव महोदय, राजस्व विभाग जयपुर व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के समक्ष एवं संबंधित सुगम समाधान पोर्टल पर अपना परिवाद दर्ज कराया गया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीत होने के साथ—साथ सीसीए नियमों के तहत दण्डनीय है।

आरोप संख्या–दो

आप श्री चेतन्य प्रकाश पटवारी पटवार मण्डल कालियावास तहसील ब्यावर के पद पर रहते हुए आपको पटवार मण्डल लसाडिया का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। उक्त दोनों पटवार मण्डलों से संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आपके विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत कर ग्रामवासियान के राजकीय कार्य समय पर नहीं करने बाबत अवगत कराया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य राजकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही का प्रतीत होने के साथ–साथ सी.सी.ए. नियमों के तहत दण्डनीय है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 26.8.2014 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए इसके लिए तारीख 29.10.2014 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुए। उपखण्ड ब्यावर, ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 09.01.2015 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अन्तर्गत परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का आदेश दिनांक 09.01.2015 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/एफ कार्मिक (क–3) 79 दिनांक 26.3. 1980 जारी कर आरोपों को निर्धारित करने से पूर्व प्राथमिक जांच कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने विभागीय जांच प्रारम्भ करने से पूर्व अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किशकायत के संबंध में तहसीलदार ब्यावर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार ब्यावर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.4.2014 में उल्लेखित किया है कि शिकायतकर्ता को पटवारी हलका द्वारा प्रतिलिपियां उपलब्ध करवा दी गई है। तत्पश्चात तहसीलदार

ब्यावर ने अपीलांट के नाम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 12.5.2014 को प्रस्तुत किया गया। नियम 17 के तहत तहसीलदार ब्यावर को अपीलांट के विरूद्ध नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी से प्राथमिक जांच नहीं करवाई गई है इसके समर्थन में (1) A.I.R.1976 (S.C.) पृष्ठ 2277, (2) A.I.R.1976 (S.C.) पृष्ठ 2037 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें बिना प्राथमिक जांच कराये आरोप पत्र जारी करने को विधिसम्मत नहीं माना गया है। साथ ही कथन किया गया कि (1) R.L.W 1977 पृष्ठ 599, (2) S.C.C. 1979 पृष्ठ 157 में उल्लेखित है कि अपीलांट के विरूद्ध जो आरोप लगाया गया है वह अस्पष्ट है। अस्पष्ट आरोप के आधार पर पारित किया गया दण्डादेश नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यवर का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने अपीलांट के विरूद्ध लगायेगये दोनों आरोप प्रमाणित नहीं माने इसके उपरान्त भी अपीलांट को सीसीए नियम 14 में वर्णित परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया। जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलांट को अपना पक्ष सम्पूर्ण रूप से रखने का अवसर दिया गया किन्तु सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात व उठाये गये बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया। इसलिए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित दण्डादेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2005 (3) सी.डी.आर. पृष्ठ 1982 जगदीश चन्द्र बनाम राजस्थान सरकार तथा राजेन्द्र दत्त शर्मा बनाम सरकार के प्रकरण में नियम 17 के तहत कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है, जो अपीलांट के प्रकरण में यह नियम 17(3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि आरोप संख्या 1 के बारे में उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई थी जो कि श्री मनोहर सिंह द्वारा सुगम पोर्टल पर दर्ज

शिकायत के संबंध में था जिसके प्रतिउत्तर में तहसीलदार ने रिपोर्ट भिजवाई कि शिकायतकर्ता को हलका पटवारी कालियावास द्वारा प्रतिलिपियां उपलब्ध करवा दी गई थी उसके पश्चात भी तहसीलदार ब्यावर द्वारा उक्त आरोप लगाते हुए नियम 17 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया है जो विधिविरूद्ध है।

आरोप संख्या 2 में वर्णित तथ्यों की ना तो जांच करवाई गई और ना ही इसके बारे में अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही दिया गया इसलिए उक्त आरोप अपीलांट पर लगाना ही नहीं चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने अपने निर्णय दिनांक 09.01.2015 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपचारी पर लगाये गये दोनों आरोप सिद्ध नहीं पाये जाते है। उक्त निर्णय पारित होने के बाद भी दिनांक 26.6.2014 को ग्राम पंचायत मुख्यालय बलाड़ पर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर की अध्यक्षता में आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों की शिकायत पर अपीलांट को भविष्य में उक्त प्रकार की पुनरावृति नहीं करने की हिदायत के साथ परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। जब आरोप प्रमाणित ही नहीं हुए तो अपीलांट को नियम 14 में वर्णित परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाना आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि शिकायतकर्ता का कथन कि शिकायतकर्ता को समय पर प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करवाई गई इसके बारे में अपचारी का कथन है कि मनोहर सिंह रावत ने दिनांक 20.3.2014 को उपस्थित होकर मौखिक रूप से ग्राम रूपाहेली के जमाबंदी के खाता संख्या 29,37, 38, 39 व 40 की प्रतिलिपियां व नक्शा ट्रेस लेने हेतु कहा एवं कुछ समय में अपना निजी कार्य कर वापस आकर प्रतिलिपि ले जाने हेतु कहा। शिकायतकर्ता ने लिखित में निर्धारित प्रपत्र में उक्त प्रतिलिपियां प्राप्त करने केलिए आवेदन नहीं करने पर भी अपीलांट ने उसी दिन नकले तैयार कर नकल फीस रजिस्टर पी–35 में इन्द्राज कर दी थी। शिकायतकर्ता को कई बार नकल ले जाने हेतु कहा उसके पश्चात भी शिकायतकर्ता नकल लेने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 2.4.2014 को ऑफिस कानूनगों द्वारा मोबाईल फोन पर अपीलांट को तहसील कार्यालय में आकर तैयार शुदा प्रतिलिपि देने हेतु निर्देशित करने पर अपीलांट द्वारा तहसील कार्यालय में प्रतिलिपियां दी गई एवं रजिस्टर पी–35 में दर्ज निर्धारित शुल्क शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने उक्त जांच में शिकायतकर्ता मनोहर सिंह व

सरपंच ग्राम पंचायत बलाड, मेणी देवी तथा सरपंच ग्राम पंचायत देलवाड़ा उमराव काठात को बयानों के लिए बुलाया किन्तु वे जांच में उपस्थित नहीं हुए। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्डादेश पारित किया है। सरपंच बलाड़ व देलवाड़ा ने दिनांक 25.4.2014 को तहसीलदार ब्यावर को लिखा कि अपीलांट ग्रामवासियान का कार्य समय पर नहीं करता है लेकिन इन दोनों ही सरपंच ने दिनांक 12.8.2014 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लिखकर स्पष्ट किया कि चेतन्य प्रकाश पटवारी की कार्यशैली व कार्य तथा इनका व्यवहार आम जन से अच्छा व सन्तुष्ट है। पूर्व में की गई शिकायत के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।

अपचारी पटवारी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ब्यावर की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2014 को आयोजित रात्रि चौपाल कार्यक्रम में मजते आम में ग्रामीणो ने अपीलांट के विरूद्ध उनके राजस्व संबंधित कार्य समय पर नहीं करने एवं परेशान करने बाबत मौखिकशिकायत के आधार पर दण्डित किया गया है जिस आधार पर अपीलांट को दण्डित किया गया है यह आधार आरोप पत्र संख्या 2 में नहीं है। रात्रि चौपाल के मजमेआम में कौनसे ग्रामीण उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष उपस्थित हुए और कौनसा राजस्व संबंधित कार्य अपीलांट द्वारा समय पर नहीं करने का आरोप लिखित में दिया यह आरोप पत्र एवं निर्णय में स्पष्ट अंकित नहीं है। दिनांक 26.6.2018 को रात्रि चौपाल में चौपाल कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत वासियों द्वारा क्रम संख्या 1 से 17 तक शिकायत/प्रार्थना पत्र में दिये गये है जिसमें से किसी भी ग्रामीण ने अपीलांट के विरूद्ध समय पर राजस्व कार्य नहीं करने एवं परेशान करने बाबत किसी भी प्रकार की कोई लिखित या मौखिक शिकायत उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष नहीं की फिर भी अपीलांट को दण्डितकिया जाना किसी भी स्थिति में उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट अंकित किया है कि यदि अपचारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते है तो आरोपित कर्मचारी को दोषमुक्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इन सिद्धान्तों के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध पारित दण्डादेश निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रार्थी के प्रस्तुत जवाब पर गौर नहीं कर जो दण्डादेश दिनांक 09.1.2015 पारित किया वह विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पैरावाईज टिप्पणी प्रेषित की गई जिसमें उनके द्वारा टिप्पणी अंकित कर कथन किया कि अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त

ही व्यक्तिगत सुनवाई व प्रस्तुत जवाब के आधार पर निर्णय पारित किया गया। पटवारी हलका कालियावास एवं लसाड़िया द्वारा आम जनता को परेशान करने तथा आम जनता का कोई भी राजस्व कार्य समय पर पूर्ण नहीं करते है तहसीलदार, ब्यावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.6.2014 एवं 07. 072014 के आधार पर इस कार्यालय द्वारा कार्मिक को आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये गये है जो सही व नियमानुसार है। दिनांक 26.6.2018 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत बलाड़ मुख्यालय पर आयोजित रात्रि चौपाल में मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों ने कार्मिक के विरूद्ध राजस्व संबंधी कार्य समय पर नहीं करने की शिकायत की है। अतः परिणामस्वरूप कार्मिक को भविष्य की चेतावनी के साथ परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त प्रकरण में कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है वह कार्मिक स्वयं स्वीकार कर रहा है। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेज व बिन्दुओं को शामिल नहीं करने का आरोप बिल्कुल असत्य है। कार्मिक यह सिद्ध नहीं कर सका है कि कौनसे दस्तावेज व बिन्दु उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये थे जिनको दण्डादेश दिनांक 09. 01.2015 में शामिल नहीं किया गया है। दण्डादेश दिनांक 09.01.2015 से स्पष्ट है कि कार्मिक पर लगाये गये दोनों आरोप सिद्ध नहीं है। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दण्डित किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच तहसीलदार ब्यावर से करवाई गई जिस पर उनके पत्रांक 2646 दिनांक 7.7.2014 से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दिनांक 8.8.2014 को आरोप पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी को दिया गया दण्डादेश दिनांक 09.01.2015 को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमों में दी गई प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया है जो उचित है। आरोपित कार्मिक का यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है कि आरोप सिद्ध नहीं होने के बावजूद दण्डित किया गया है। आरोप विवरण पत्र–2 में उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति में रात्रि चौपाल में ग्राम वासियों द्वारा (सरपंच सहित) शिकायत करना अंकित किया है जबकि आरोपित कार्मिक के प्रत्युत्तर में यह उल्लेख है कि रात्रि चौपाल में किसी भी ग्रामीण ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लिखित या मौखिक शिकायत प्रस्तुत नहीं की थी। यह कथन विश्वसनीय नहीं है क्योकि उपखण्ड अधिकारी ने अपने दण्डादेश में स्वयं यह अंकित किया है कि उनकी अध्यक्षता में आयोजित रात्रि चौपाल में मजमेआम

में उपस्थित ग्रामीणों में अपचारी कर्मचारी द्वारा उनके राजस्व कार्य समय पर नहीं करने एवं परेशान करने की शिकायत की थी।

इस प्रकार कार्मिक के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ब्यावर जिला अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 09.01.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित दण्डादेश राजस्व/2015/09 दिनांक 09.01.2015 यथावत रखा जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2018.12.12 14:05:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: